न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 239/2024 निर्णय दिनांक: 23.4.2025
ऑनलाईन नम्बर 2024/493
ओमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. हरिराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण—

1. श्री ललित कुमार मारू प्रार्थी
2. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 277 तादादी 6.8200 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थी के उक्त खसरा भूमि में ट्यूबवैल बना हुआ है तथा प्रार्थी ढ़ाणी में परिवार सहित खेत में रहकर भूमि का काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.4000 हैक्टेयर बारानी, 0.1800 हैक्टेयर गैमुमकिन रास्ता कुल 6.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थी ने उक्त खसरा भूमि को दिनांक 19.12.2024 को पूर्व खातेदार दीपचन्द के वारिसान से खरीद किया है। खसरा नम्बर 275 की भूमि में से चले आ रहे कट्टाणी से फंटकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 277 में आने—जाने का एकमात्र रास्ता वर्षो से चला आ रहा है, जो कि खसरा नम्बर 275 के मुख्य कट्टाणी मार्ग सड़क बेनीसर से दुलचासर से दक्षिणी तरफ प्रार्थी के खेत तक आता है, जो कि 130 फुट लम्बाई का व 16 फुट चौड़ाई में चला आ रहा है। प्रार्थी, अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 275 को पिछले करीब 20 वर्षो से काश्त पर लेता रहा है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 275 की भूमि को पूर्व खातेदारो से इस वर्ष भी एक लाख रुपये माह अगस्त 2024 में अदा कर नवम्बर 2025 तक पुनः काश्त पर लिया तथा वर्तमान में प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 275 में स्थित कट्टाणी मार्ग से दक्षिणी तरफ की भूमि में प्याज, मैथी, इस्वगोल की फसल काश्त कर रखी है, जो मौके पर खड़ी है, इसी फसल के बीच में से प्रार्थी के खेत में आने—जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है। अप्रार्थी दिनांक 19.12.2024 को बाला—बाला खसरा नम्बर 275 भूमि की रजिस्ट्री अपने

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:05 IST
Reason: SelfAttested

नाम करवा ली तथा उसी दिन प्रार्थी को जाकर धमकी दी कि तुमने जो फसल मेरे खेत में काश्त कर रखी है, वह खेत मैने खरीद लिया है, अब तुम मेरे खेत में मत आना व ना ही मेरे खेत में से तुम्हारे खेत को जाने वाले रास्ते का उपयोग करना है, मैं तुम्हारे खेत का रास्ता बन्द कर दूंगा। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता जो बरंग पीले से दर्शित है, का उपयोग–उपभोग पिछले 20 वर्षो से कर रहा है तथा यही एकमात्र दर्शित रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये विधमान है, जिससे प्रार्थी पैदल, ऊंट–गाड़ा, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करता है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का आवश्यक एकमात्र रास्ता है, जिसे बन्द करने की धमकियां अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को दी गई, यही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आधार व कारण है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत को पूर्व खातेदार से काश्त पर ले रखा है तथा फसल वर्तमान में भी कथित विक्रय पत्र से पूर्व से ही प्रार्थी ने काश्त कर रखी है, जिसका हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्राप्त को प्राप्त है। अप्रार्थी, प्रार्थी को बाहुबल के आधार पर उसकी ख.न. 275 में काश्त की गई भूमि से उसे बेदखल कर प्रार्थी के खेत के आवागमन के रास्ते को भी बन्द करना चाहता है, यदि अप्रार्थी उक्त गलत मन्सूबो में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को हर प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होगी। यदि अप्रार्थी को स्थगन आदेश के जरिये पाबन्द नहीं किया तो वह प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को बन्द कर देगा, जिस कारण प्रार्थी अपने खेत में भी आवागमन नहीं कर पायेगा, इसलिये इन आधारो पर अस्थाई निषेधाज्ञा बावत हर प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 277 में आवागमन के रास्ते बावत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायालय में अलग से पेश किया है, जिसके अन्तिम निर्णय में काफी समय लगेगा, इस दौरान अप्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर प्रार्थी की काश्त की गई फसल जबरन हथियाकर प्रार्थी के खेत के रास्ते को बन्द करने में सफल हो जावेगा, इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर की भूमि पर नवम्बर 2025 तक काश्त करने से प्रार्थी को नहीं रोके तथा वर्तमान में काश्त की गई भूमि फसल के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे, ना ही खड़ी फसल पर किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही फसल को खुर्द–बुर्द करे। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 275 में स्थित कट्टाणी मार्ग से फंटकर प्रार्थी के खेत तक चले आ रहे रास्ते को (नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार) बन्द नहीं करे, ना ही रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करे, जिससे प्रार्थी के खेत में आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करे,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:05 IST
Reason: SelfAttested

नाम करवा ली तथा उसी दिन प्रार्थी को जाकर धमकी दी कि तुमने जो फसल मेरे खेत में काश्त कर रखी है, वह खेत मैने खरीद लिया है, अब तुम मेरे खेत में मत आना व ना ही मेरे खेत में से तुम्हारे खेत को जाने वाले रास्ते का उपयोग करना है, मैं तुम्हारे खेत का रास्ता बन्द कर दूंगा। प्रार्थी प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता जो बरंग पीले से दर्शित है, का उपयोग–उपभोग पिछले 20 वर्षो से कर रहा है तथा यही एकमात्र दर्शित रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये विधमान है, जिससे प्रार्थी पैदल, ऊंट–गाड़ा, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करता है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत में आने–जाने का आवश्यक एकमात्र रास्ता है, जिसे बन्द करने की धमकियां अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.2024 को दी गई, यही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का आधार व कारण है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत को पूर्व खातेदार से काश्त पर ले रखा है तथा फसल वर्तमान में भी कथित विक्रय पत्र से पूर्व से ही प्रार्थी ने काश्त कर रखी है, जिसका हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्राप्त को प्राप्त है। अप्रार्थी, प्रार्थी को बाहुबल के आधार पर उसकी ख.न. 275 में काश्त की गई भूमि से उसे बेदखल कर प्रार्थी के खेत के आवागमन के रास्ते को भी बन्द करना चाहता है, यदि अप्रार्थी उक्त गलत मन्सूबो में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को हर प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होगी। यदि अप्रार्थी को स्थगन आदेश के जरिये पाबन्द नहीं किया तो वह प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को बन्द कर देगा, जिस कारण प्रार्थी अपने खेत में भी आवागमन नहीं कर पायेगा, इसलिये इन आधारो पर अस्थाई निषेधाज्ञा बावत हर प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 277 में आवागमन के रास्ते बावत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायालय में अलग से पेश किया है, जिसके अन्तिम निर्णय में काफी समय लगेगा, इस दौरान अप्रार्थी अपने बाहुबल के आधार पर प्रार्थी की काश्त की गई फसल जबरन हथियाकर प्रार्थी के खेत के रास्ते को बन्द करने में सफल हो जावेगा, इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 275 तादादी 6.5800 हैक्टेयर वाकेरोही गोपालसर की भूमि पर नवम्बर 2025 तक काश्त करने से प्रार्थी को नहीं रोके तथा वर्तमान में काश्त की गई भूमि फसल के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे, ना ही खड़ी फसल पर किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रयास करे, ना ही फसल को खुर्द–बुर्द करे। अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 275 में स्थित कट्टाणी मार्ग से फंटकर प्रार्थी के खेत तक चले आ रहे रास्ते को (नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार) बन्द नहीं करे, ना ही रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करे, जिससे प्रार्थी के खेत में आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ना ही कोई ऐसा कृत्य या अपकृत्य करे,

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:05 IST
Reason: SelfAttested

जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारो पर विपरित असर पड़ता हो। तादावा फैसला खसरा नम्बर 275 रोही गोपालसर की भूमि मौका व रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाक अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला वादगत खसरान भूमि मौका व रिकार्ड की यथारिथति बनायें रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खेत में कभी भी आवागमन नही रहा है और ना ही वर्तमान में आवागमन है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत में प्रार्थी की कोई काश्त की हुई फसल नही है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 01 के खेत में कभी भी किसी प्रकार का ना तो आवागमन था और ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी संख्या 01 में वादगत कृषिभूमि विधिवत रूप सें खरीद की है। अप्रार्थी संख्या 01 की कृषिभूमि का प्रार्थी कभी भी ना तो कभी खातेदार रहा हैं और ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है । खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी को चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत में प्रार्थी का कोई आवागमन नही है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया का सिद्धान्त, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सिंव सें होते हुए रास्ता अवस्थित हैं ऐसी स्थिति में अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत में प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है । धारा 251ए का प्रार्थनापत्र की सुनवाई उक्त दावा व प्रार्थनापत्र में नही की जा सकती। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र व दावा में बताये गये रास्ता का तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 277 तादादी 6.8200 हैक्टेयर रोही ग्राम गोपालसर में स्थित है जो रेलवे लाईन के पास स्थित है। प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सीमा व रेलवे लाईन से होते हुए पूर्व सें पश्चिम की ओर मौका पर रास्ता अवस्थित हैं । उक्त रास्ता से गांव सें होते हुए प्रार्थी के खेत में सें गुजरकर आगे के खेतो की ओर रास्ता अवस्थित हैं जिससे आवागमन होता हैं। प्रार्थी के खेत की दक्षिणी सीव पर रास्ता विधमान है तथा आवागमन सुचारू है । ऐसी स्थित में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 के खेत सें आवागमन हेतु रास्ता की मांग करने का कोई अधिकार हासिल नही है एवं प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नंबर 275 के खातेदार के विरुद्ध चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जाकर उक्त खसरान भूमि के संबंध [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

251 (क) अनवान ओमसिंह बनाम हरिराम मुकदमा नंबर 240/2024 के निस्तारण तक तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 खेत खसरा नंबर 275 के रिकाडेर्ड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क का निस्तारण सुमचित सुनवाई के उपरान्त ही किया जाना न्यायोचित प्रतीत है एवं रिकार्डे खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.5.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:05 IST
Reason: SelfAttested